

न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34/22 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 139/16

GCMS NO : 2022/00025

1. श्री शंकरलाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 2. श्री पन्ना लाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 3. श्रीमती मोवनी बाई पुत्री श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 4. मु० औंकारी बाई पुत्री श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 5. श्री अम्बालाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 6. मु. ज्ञानी बाई पत्नी श्री गोपाल जी ब्राम्हण
 7. श्री कजोड़ पिता दौलतराम जी ब्राम्हण मृतक के बजाय :—
 - 7/1. श्री परसराम पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/2. श्री मोहन लाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/3. श्री डालचन्द पिता स्व. कजोड़ जी
 - 7/4. श्री हीरालाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/5. श्री इन्द्रलाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/6. मु० मांगीबाई पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/7. मु० टमु बाई पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/8. मु० लेहरी बाई बेवा स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण
 - 7/9. श्री दीपक पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण
 - 7/10. मु० सीता पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण
 - 7/11. मु० भगवती पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण
 - 7/12. मु० कंकु बाई बेवा किशन जी ब्राम्हण
- सभी निवासी— बेड़वास त. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. श्री दलपत पिता रोशन लाल सुराणा, निवासी— 33—बी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर (राज.)



2. श्री मेघराज पिता रतनलाल जी ब्राम्हण, निवासी— बेड़वास तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
4. तहसीलदार साहब गिर्वा, जिला उदयपुर राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:— श्री नरेन्द्र सोनी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 08.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व ग्राम बेड़वास पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली में आराजी नम्बर 1044 रकबा 0.0500 हैक्टर स्थित है, जो कुआं है। उक्त सम्पूर्ण कुए भूमि पर वादीगण का ही कब्जा अपने बापदादाओं के समय से आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर जबरन वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। आए दिन वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 का वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा गलत अंकित हो गया है। वादीगण का उनके पिता के समय से पिल्ले 35 पेंतीस सालो से अधिक समय से लगातार आज तक बिना किसी रुकावट के लगातार निर्वाध रूप से चला आ रहा है तथा वादीगण का पिछले 12 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार आज तक शान्ति पूर्वक निर्वाचि रूप से कब्जा कार चला जा रहा है इस कारण वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त संपूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके हैं। हाल ही में वादीगण को पता चला है कि प्रतिवादी सं० 2 के खाते में 1/4 हिस्सा गलत अंकित हो गया है अब प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलकर जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल करना चाहता है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 6 का 3/4 हिस्सा है तथा वादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा हिस्सा होकर भूमि अविभाजित है तथा कुआं है। किसी स्ट्रेजर परचेसर को विक्रय करने का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रभावशाली व्यक्ति है व अपने धन बल के आधार पर कथित फर्जी विक्रय पत्र बनाया है व उसके आधार पर वादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर वादी को बेदखल करना चाहता है। प्रतिवादीगण

ने धमकी दी है कि वे प्रतिवादी 3 के यहां अपने प्रभाव में भूमि को कन्वर्ट कर 90 बी की कार्यवाही करके प्लोट काट देगा व अन्य को विक्रय कर देगा। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 6 को 3/4 हिस्से का व वादी संख्या 7 को 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के हक व हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यदि कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तो वह नियमानुसार लाई जावेगी। वादी को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के विरुद्ध कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी द्वारा गलत आधारों पर नगर विकास प्रन्यास को पक्षकार बना कर उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम बेड़वास में स्थित है तथा वादी का भूमि पर अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा है वादी अपने दस्तावेजों से साबित करावें। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में दावे जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।
.....वादीगण
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....वादीगण
3. आया वादग्रस्त भूमि पर खुला कुंआ स्थित है जिसका उपयोग उपभोग पिलाई आदि वादी कराता चला आ रहा है।
.....वादीगण
4. आया भूमि अविभाजित होकर प्रतिवादीगणों का भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है।
.....वादीगण

5. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि में अवैध तरीके प्रतिवादी संख्या 3 की शेष भाग में होकर भूमि कुंआ को कृषि से अकृषि स्वरूप को बदलना चाहते हैं, अवैध तरीके से अविभाजित भूमि में निर्माण कराना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है।

.....वादीगण

6. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र में वर्णित भूमि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

7. अनुतोष।

वादी द्वारा साक्ष्य PW1 पन्नालाल व PW2 गोपाल का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व ग्राम बेड़वास की जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के खाता संख्या 413 प्रदर्श 1, फोटोग्राम प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 है। वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद ग्वाह पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य अवसर बंद कर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को भी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए। बावजूद इसके साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

विद्वान वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि अविभाजित भूमि तथा कुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से का 3/4 हिस्सा व वादी संख्या 7 का 1/4 है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का उनके बापदादाओं के समय से शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा गलत अंकित हो गया है, किन्तु प्रतिवादी का कब्जा आज दिनांक तक नहीं रहा है। अब प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलकर वादीगणों को बेदखल करना चाहता है। अतः निवेदन है कि वादीगणों को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हक हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करें।

वादी अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :-

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

....वादीगण

- तनकी संख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वर्तमान में वादीगण उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार है। वादीगण को उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदारी घोषणा के अधिकारी है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

- तनकी संख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सहखातेदार होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। एक सहखतोदार को दूसरे सहखातेदारों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के विरुद्ध सिद्ध की जाती है।

3. आया वादग्रस्त भूमि पर खुला कुंआ स्थित है जिसका उपयोग उपभोग पिलाई आदि वादी कराता चला आ रहा है।

.....वादीगण

- तनकी संख्या 3 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 1044 रकबा 0.0500 हैक्टर आ.चा. कुआं स्थित है। जिसमें सभी सहखातेदारों का हक हिस्सेनुसार सिंचाई हेतु कार्य में काम में लिया जाना उचित है। अतः वादीगण उक्त आराजी में से अपने हक हिस्सेनुसार सिंचाई करता चला आ रहा है। यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया भूमि अविभाजित होकर प्रतिवादीगणों का भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है।

.....वादीगण

- तनकी संख्या 4 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार होकर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक भाग पर हिस्सा होता है। अतः प्रतिवादीगण दलपत पिता रोशनलाल का 1/4 हिस्सा निहित है। यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

5. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि में अवैध तरीके प्रतिवादी संख्या 3 की शेष भाग में होकर भूमि कुंआ को कृषि से अकृषि स्वरूप को बदलना चाहते हैं, अवैध तरीके से अविभाजित भूमि में निर्माण कराना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है।

.....वादीगण

- तनकी संख्या 5 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार है। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.0500 हैक्टर कुंआ है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में नगर विकास प्रन्यास् द्वारा जवाब में जिसमें बताया गया कि नगर विकास प्रन्यास् द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही वर्तमान में नहीं की जा रही है। वाद वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में यदि भविष्य में भी कोई यदि भविष्य में भी कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तो वह नियमानुसार ही लाई जावेगी। अतः प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये भूमि का स्वरूप कृषि से अकृषि नहीं कर सकते हैं। अतः वर्तमान में वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में कुंआ दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में कृषि से अकृषि स्वरूप की पत्रावली भी नगर विकास प्रन्यास् द्वारा नियमानुसार बाद जाँच व नियम के अनुरूप ही की जाएगी। उक्त तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

6. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र में वर्णित भूमि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

- उक्त तनकी को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सहखातेदार है। तनकी संख्या 2 भी वादीगण के विरुद्ध तय की गई जिससे तनकी संख्या 6 भी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकीवार विवेचन के आधार पर भी तनकी संख्या 1, 3 व 5 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 2, 4 व 6 वादीगण के विरुद्ध सिद्ध हुई है। जिससे वादीगण का वाद आशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद अशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बेड़वास पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली में आराजी नम्बर 1044 रकबा 0.0500 हैक्टयर भूमि कुआं में वादीगण को हक हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं कराए। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. मुकद्मा 34/22 सन 2022 (1) श्री शंकरलाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण (2) श्री पन्ना लाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण (3) श्रीमती मोवनी बाई पुत्री श्री गोपाल जी ब्राम्हण (4) मु० औंकारी बाई पुत्री श्री गोपाल जी ब्राम्हण (5) श्री अम्बालाल पिता श्री गोपाल जी ब्राम्हण (6) मु. ज्ञानी बाई पत्नी श्री गोपाल जी ब्राम्हण (7) श्री कजोड़ पिता दौलतराम जी ब्राम्हण मृतक के बजाय :- (7/1) श्री परसराम पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/2) श्री मोहन लाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/3) श्री डालचन्द पिता स्व. कजोड़ जी (7/4) श्री हीरालाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/5) श्री इन्द्रलाल पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/6) मु० मांगीबाई पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/7) मु० टमु बाई पिता स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/8). मु० लेहरी बाई बेवा स्व. कजोड़ जी ब्राम्हण (7/9) श्री दीपक पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण (7/10) मु० सीता पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण (7/11) मु० भगवती पिता स्व. श्री किशन जी ब्राम्हण (7/12) मु० कंकु बाई बेवा किशन जी ब्राम्हण सभी निवासी- बेड़वास त. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री दलपत पिता रोशन लाल सुराणा, निवासी- 33-बी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर (राज.) (2) श्री मेघराज पिता रतनलाल जी ब्राम्हण, निवासी- बेड़वास तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (3) नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.) (4) तहसीलदार साहब गिर्वा, जिला उदयपुर राज.) वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरेन्द्र सोनी अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि-

वादीगण का वाद अशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बेड़वास पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली में आराजी नम्बर 1044 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि कुआं में वादीगण को हक हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं कराए। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशिआज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाए।

यह आज तारीखमाहसन् को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना (वकील) पर			मेहनताना (वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		